



राष्ट्रीय रोजगार सेवा
छत्तीसगढ़

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्रमांक / जिराकाजा / 2017 / 2226
प्रति,

जांजगीर दिनांक 23/12/2017


जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी
जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी जिले के वेबसाईट में अपलोड करने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


जिला रोजगार अधिकारी
जांजगीर चांपा (छ.ग.)




राष्ट्रीय रोजगार सेवा
छत्तीसगढ़

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जांजगीर चांपा, कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला, कार्य शक्तियां प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का संपादन।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	जिला रोजगार अधिकारी/सहायक ग्रेड-02 एवं सहायक ग्रेड-03/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रशासनिक/वित्तीय प्रकरणों का निपटारा तथा जन शिकायतों का निराकरण।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रियामें पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शाखा लिपिक के द्वारा नस्ती प्रस्तुत करने पर स्वीकृति एवं कार्यालयीन शाखाओं में सुधार हेतु निर्देश दिए जाते हैं।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	राज्य शासन/संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर द्वारा प्रदत्त नियमों/निर्देशों के तहत इस कार्यालय द्वारा कार्य संपादित किये जाते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	अपने या अपने कर्मचारियों के लिए मूलभूत नियम छ.ग. वित्त संहिता, छ.ग. आचरण नियम, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण) छ.ग. पेंशन/सामान्य भविष्य निधि आदि/नियमों का प्रयोग/पालन किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	इस कार्यालय में कार्यरत लिपिकों से संबंधित शाखा के दस्तावेजों/अभिलेखों की नस्ती तैयार कर कम्प्यूटर में लोड कर रखा जाता है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	नीतिगत नियमों का निर्धारण/संरचना सामान्यतः शासन द्वारा किया जाता है। जिसके तहत लोक सदस्यों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही/निराकरण किया जाता है।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों/ और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, वितरण	निरंक

9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा के स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति/विभागीय प्रकरणों/अवकाश प्रकरणों एवं कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही कर प्रकरणों का निपटारा एवं जन शिकायतों का निराकरण किया जाता है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	निरंक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय नियमानुसार किया जाता है तथा इसकी जानकारी प्रत्येक माह वरिष्ठ कार्यालय को दी जाती है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में थल सेना/वायु सेना में उत्तीर्ण जिले के युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण इस कार्यालय द्वारा प्रदाय किया जाता है। इस प्रशिक्षण में हुए व्यय की राशि का भुगताना स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन मद/सी.एस. आर.मद द्वारा किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकरणों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	निरंक
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा में कार्यालयीन कार्य के संपादन हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध है जिनकी सहायता से शासकीय कार्य/सूचना हेतु ई-मेल का उपयोग किया जाता है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर संबंधित आवेदकों को सूचना डाक द्वारा या उसके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर उपलब्ध कराई जाती है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	सुश्री चारु चित्रा साय, जिला रोजगार अधिकारी, जांजगीर चांपा (छ.ग.)
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित क जाए	निरंक


 23/12/2019
 जिला रोजगार अधिकारी
 जांजगीर चांपा (छ.ग.)